केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No.3/1/2018/Admin./CIC/ST/50332/2 Dated: 8.06.2018

[redacted]

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिंनाक ११.५.२०१८ का आवेदन इस अनुभाग में १४.५.२०१८ को आर टी आई अनुभाग से बिंदु संख्या 1,8-9 के लिए प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

१	प्रशासन अनुभाग में ऐसा कोई डाटा रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं ।
८	आयोग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनाक ०६.९.२०१८ को की गयी थी, जिसका कार्यवृत सलंग किया जाता है । समिति की अगली बैठक की तारीख अभी निश्चित नहीं की गयी हैं ।
९	केंद्रीय सूचना आयोग मियन आधिकारियो व कर्मचरियों की कुल स्वीकृत संख्या १६० हैं ।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय आधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं ।

सविता
(सविता तलूजा)

अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति ,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, :RTI CELL

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
11 JUN 2018
D. No.............
Initials...............

फ़ाइल सं. 10/02/2017/राज.बै./प्रशा./के.सू.आ. दिनांक: 07.09.2017

केन्द्रीय सूचना आयोग
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली -110066

दिनांक 06.09.2017 को आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

****

संयुक्त सचिव(प्र) एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति (के.सू.आ.) के अध्यक्ष श्री एस.पी.बेक (संयुक्त सचिव) की अध्यक्षता में दिनांक **06.09.2017** को अपराह्न **3.00**बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया| बैठकका विषय था - केंद्रीय सूचना आयोग में राजभाषा हिंदी में हो रहे कार्यों में प्रगति वहिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में चर्चा तथा पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (के.सू.आ.) के अध्यक्ष महोदय ने बैठक की शुरुआत पिछली बैठक जो 13.04.2017 को हुई थी में लिए गए निर्णयों पर कहाँ तक कार्यान्वयन हुआ है, पर चर्चा एवं समीक्षा के साथ शुरू की ।

बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई / फैसले लिए गए :-

मद सं 1 हिंदी में हुए काम का ब्योरा रखना :-

अध्यक्ष महोदय ने जब इस पर चर्चा शुरू की तो सभी सदस्यों ने ब्यौरा रखने में आ रही दिक्कतों के बारें में बताया । सभी सदस्यों ने यह कहा कि उनके सेक्शन में हिंदी में काम तो हो रहे है लेकिन उनका ब्यौरा रखना मुश्किल हो रहा है |अध्यक्ष महोदय भी इस बात से सहमत दिखे कि आयोग में हिंदी में कामं को बढ़ावा मिला है । सभी सदस्यों के साथ चर्चा कर उन्होंने यह निर्णय लिया कि सभी अनुभाग में हिंदी में आने वाले पत्रों की डायरी अलग एवं अंग्रेजी में आने वाले पत्रों की डायरी अलग होगी तथा अनुभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास जो हिंदी पत्र आए थे या अंग्रेजी के पत्र जिनका जवाब उन्होंने हिंदी में दिया भेज दी गयी है और उसका फाइल सं उस पत्र के डायरी सं के साथ डाला जायेगा ।

मद सं. 2 तिमाही रिपोर्ट का जमा किया जाना :-

तिमाही रिपोर्ट जमा किये जाने को लेकर चर्चा में सभी सदस्यों ने तिमाही रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार आकडे इकट्ठा करने में आ रही समस्याओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया| अध्यक्ष महोदय ने उन समस्याओं को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि जहाँ तक संभव होता है डाटा मेन्टेन करें, धीरे- धीरे उन समस्याओं का निदान किया जायेगा | उन्होंने तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सभी सदस्यों एवं अनुभागों को यह निर्देश दिया कि वे तिमाही रिपोर्ट में भेजने से सम्बंधित डाटा मेन्टेन करें और उसे अपडेट रखें |

मद सं 3 हिंदी सप्ताह मनाने एवं हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजनों पर चर्चा |

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी सप्ताह मनाने एवं उस दौरान हिंदी को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजनों पर चर्चा की | उन्होंने इस दौरान हिंदी में निबंध प्रतियोगिता तथा कर्मचारियों के हिंदी कार्य के मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार देने की बात कही | इस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति जताई | हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी प्रोत्साहन हेतु बैनर लगाने का भी निर्णय लिया गया |

मद सं 4 हिंदी स्लोगन एवं हिंदी नोटिस बोर्ड लगाने पर चर्चा :-

आयोग में हिंदी को बढ़ावा देने एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रूचि जगाने हेतु सभी सदस्यों से विचार -विमर्श के बाद अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया कि आयोग के कार्यालय के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जायेगा एवं उसपर हर दिन राजभाषा हिंदी में “आज के विचार” के तहत नारे/लोकोक्ति/कथन लिखा जायेगा | उन्होंने यह भी कहा की आयोग के नए बिल्डिंग में दीवारों पर हिंदी कथन या नारे लिखे जायेंगे |

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/सदस्य उपस्थित थे :-

1. *श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव व् अध्यक्ष(राजभाषा कार्यान्वयन समिति)*
2. *श्री सुशील कुमार, उप-सचिव*
3. *श्री एस. के. रब्बानी, उप-सचिव*
4. *श्री टी.के. मोहपात्रा उप-सचिव*
5. *श्री के ए तलवार, उप सचिव*

6. श्रीमती सविता तलुजा, अनुभाग अधिकारी
7. श्री अशोक कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी
8. श्री एच.सी. शर्मा, परामर्शदाता
9. श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, सहायक
10. श्री सुबोध कुमार, वैयक्तिक सहायक
11. श्री चन्दन कुमार, सहायक
12. श्री अंकित अरोड़ा, सहायक
13. श्री राजकुमार तोमर, सहायक
14. सुश्री सोनिया , सहायक
15. श्री देवाशीष, सहायक
16. श्री राम सिंह मीना, सहायक
17. सुश्री एकता जौरवाल, सहायक
18. श्री हिमानी शर्मा, लीगल सेल
19. श्री के के पुखराल, परामर्शदाता

(एस.पी.बेक)
संयुक्त सचिव (प्रशासन)व
अध्यक्ष(राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

प्रतिलिपि :

1. मुख्या सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग के निजी सचिव ।
2. सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग के निजी सचिव ।
3. अपर सचिव/रजिस्ट्रार के निजी सचिव ।
4. संयुक्त सचिव (एम.एंड आर.)/ संयुक्त सचिव (पी. एंड बी.)/ संयुक्त सचिव (विधि)/ संयुक्त सचिव (प्रशासन) ।
5. उप-सचिव(प्र0)/उप-सचिव (सा0 प्र0)/उप-सचिव (सी.आर.-I)/ उप-सचिव (सी.आर.-II)।
6. अनुभाग अधिकार (प्र0)/अनुभाग अधिकारी (सा0 प्र0)/ अनुभाग अधिकारी (लीगल सेल)/ अनुभाग अधिकारी (आर टी आई सेल)।
7. सहायक, (एम् &आर)/ सहायक, डाक अनुभाग ।
8. गार्ड फाइल ।